



66608 - रमजान के दौरान स्त्रीरोग विशेषज्ञ के पास जाने का हुक्म

प्रश्न

रमजान के दौरान स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाने का क्या हुक्म है?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

महिला को चिकित्सा जाँच और स्वास्थ्य चेक-अप के उद्देश्य से महिला चिकित्सक के पास जाने से मनाही नहीं है। लेकिन इस शर्त के साथ कि जननांगों को खोलने के मुद्दे में इस्लामी शरीयत के नियमों (दिशानिर्देशों) का पालन किया जाए। इन दिशानिर्देशों का उल्लेख प्रश्न संख्या : (5693) के उत्तर में किया जा चुका है।

जहाँ तक हाथ या एंडोस्कोप (गुहांतदर्शी) के द्वारा आंतरिक गर्भाशय की जांच का संबंध है, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। प्रश्न संख्या : (38023) के उत्तर में उन चीज़ों का विस्तृत उल्लेख किया गया है, जिनसे रोज़ा टूट जाता है और जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। वहाँ जो कुछ उल्लेख किया गया है, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

“जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है :

चिकित्सीय जाँच के लिए, योनि में सपोजिटरी (बत्ती), या अंतरंग वाश, या कोल्पस्कोप (योनिभित्तिदर्शी), या उंगली डालना।

गर्भाशय में एंडोस्कोप या आईयूडी लगाना।

कोई भी चीज़ जो किसी पुरुष या महिला के मूत्र पथ में दाखिल की जाती है, जैसे कि कैथेटर (सूक्ष्म ट्यूब), या एंडोस्कोप, या एक्स-रे में उपयोग किया जाने वाला छायांकित पदार्थ (रेडियोकंट्रास्ट एजेंट), या दवा, या मूत्राशय को धोने के लिए घोल।” उद्धरण समाप्त हुआ।

और अल्लाह तआला सबसे बेहतर जानता है।